न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 07/2024 GCMS No. 2024/17

अपीलांट–

1. भीखाराम पुत्र शेराराम
2. मलाराम पुत्र चुनाराम
3. सुरजाराम पुत्र शेराराम
4. हेमाराम पुत्र चुनाराम
5. हरदानराम पुत्र देदाराम जातियान जाट निवासी हापानाडा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. करनाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट
2. जेठाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट
3. जमना पत्नि पूनाराम जाति जाट
4. जेरामाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट
5. पोकरराम पुत्र मोडाराम जाति जाट
6. बालाराम पुत्र पूनाराम जाति जाट
7. मगनाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट
8. मंगलाराम पुत्र पूनाराम जाति जाट
9. लालुराम पुत्र आईदानराम जाति जाट
10. शंकरराम पुत्र लाखाराम जाति जाट
11. शोभाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट
12. हीराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट कल्याणपुर निवासीयान भाण्डू हाल हापानडा तहसील कल्याणपुर
13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंडली।
14. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी, शाखा मंण्डली।
15. तहसीलदार कल्याणपुर जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2021/1118 दिनांक 24.11.2021 तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रशासन आपने द्वार अभियान शिविर 2021 में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सावलराम मेघवाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदातागण की अनु.उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आदेश

दिनांकः–10.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट एवं उतरदातागण संख्या 01 से 12 बाद तामिल अनु.उपस्थित। अपील इस प्रकार है कि मौजा हापानाडा पटवार हल्का थूम्बली तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा मे अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 24 रकबा 242 बिघा 11 विस्वा किस्म बारानी सोयम,खसरा सं. 22 रकबा 10 विस्वा गैर मुमकिन व खसरा सं. 23 रकबा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन कुल भूमि रकबा 243 बीघा 06 विस्वा आई हुई हैं। जो संपूर्ण भुमि हम अपीलाण्टगण व रेस्पोडेन्ट स. 01 ता 12 के नाम से राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज थी। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार कल्याणपुर के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/1118 दिनांक 24.11.2021 तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रशासन आपने द्वार अभियान शिविर 2021 द्वारा अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 सें

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2021 को निरस्त फरमावे। अपीलान्ट के नाम भूमि का आवंटन नियमन करने की अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 24 रकबा 242 बिघा 11 विस्वा किस्म बारानी सोयम,खसरा सं. 22 रकबा 10 विस्वा गैर मुमकिन व खसरा सं. 23 रकबा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन कुल भूमि रकबा 243 बीघा 06 विस्वा आई हुई हैं। पर अपीलांट के अधिकक्ता की बहस सुनी गई, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने पर पाया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

2. जिस पर अपीलकर्ता व उत्तरदाता 1 से 12 का बाहमी बंटवाड़ा कर कब्जा कायम कर रखा था एवं उतरदाता संख्या 01 ता 12 को अपीलाण्ट ने अपने कब्जे काश्त अनुसार जोत का बंटवाड़ा करवाने का कहा, जिस पर सभीं खातेदार कब्जे रहवास अनुसार बंटवाड़ा करने को सहमत थे जिस पर आलोच्य बंटवाड़ा दिनांक 24.11.2021 आदेश पारित भूमि में अवस्थित है। अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 12 का अपने–अपने हक हिस्सेदार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारधीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से अपील खारिज की जाकर अधिनिस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक भूअ./2021/1118 दिनांक 24.11.2021 तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रशासन आपने द्वार अभियान शिविर 2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुसार मे विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **10**.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा